

कम्प्यूटर परिपत्र संख्या-16/2012

पत्र संख्या -फार्म अनु0 -447 आ0घो0प0सं0-2016-17 / -47-

/वाणिज्य कर

कार्यालय कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(फार्म -38 अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक: 24 मई:2016

विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली -2008 के नियम 56 के उपनियम (12) में कमिशनर, वाणिज्य कर को प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत मैं एडीशनल कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा पत्रों के विवरण निम्नवत प्रकाशित करता हूँ जिसके खो जाने / चुरा लिये जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम-56 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई है, को तात्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ।

क्रम सं०	व्यापारियों का नाम व पता	फार्मों की संख्या	आयात घोषणा पत्रों /ओ0सी0स्टैम्प की सीरीज एवं क्रमांक
1-	सर्वश्री कन्हैया हार्डवेयर, नखास लोहटिया वाराणसी।	01	EE-3529787
2-	सर्वश्री राम एग्रो एजेन्सी माजरा रोड, शामली।	01	BB-0139775
3-	सर्वश्री श्रवण कुमार सचिन कुमार शामली।	01	EE-0746976
4-	सर्वश्री सन्मति इन्फोटेक, शामली।	01	FQQ-0654429
5-	सर्वश्री काशीराम अशोक कुमार शामली।	03	FHH-1183695 से 1183697 तक


(विवेक कुमार)

एडीशनल कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पू0प0 सं० व दिनांक उक्त :-

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) -अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 30प्र० इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित विज्ञप्ति का प्रकाशन साप्ताहिकी साधारण गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
- (2)- समस्त जौनल एडीशनल कमिशनर/समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर(कार्यपालक/वि०अनु०शा०)वा०कर 30प्र० को इस आशय से प्रेषित कि अपने-अपने सम्भागों से सम्बन्धित अधिकारियों को छायाप्रति भिजवाने का कष्ट करें।

- (3)- डिप्टी कमिश्नर (उ०न्याय कार्य) इलाहाबाद लखनऊ ।
- (4)- समस्त डिप्टी कमिश्नर (क०नि०) / असिस्टेंट कमिश्नर/ वाणिज्य कर अधिकारी / मण्डल / उपमण्डल खण्ड, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि इन खोए हुए / नष्ट हुए फार्म के सम्बन्ध में मुख्यालय के परिपत्र सं० (विधि -2 सत्यापन) (85-86)-201/बिक्रीकर दिनांक 23-1-85 एवं परिपत्र सं०-फार्म-31(91-92)-फार्म मुद्रण -865 / बिक्रीकर दिनांक 2-11-91 के अनुसार कार्यवाही /अनुपालन/किया जाना सुनिश्चित करें ।
- (5)- समस्त असिस्टेंट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी/ सं०द०, वा० क० उत्तर प्रदेश ।
- (6)- मुख्यालय के समस्त अनुभाग अधिकारी ।
- (7)- विधि / मैनुअल / नई इकाई को पाँच पाँच प्रतियाँ ।
- (8) सूचना केन्द्र अनुभाग मुख्यालय को 10 अतिरिक्त प्रतियाँ ।
- (9)-पी०एस० जैन अधिवक्ता सदस्य, उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय वाणिज्य कर सलाहकार समिति ए -138 ए सेक्टर -27 नोएडा ।
- (10)- श्री मनीष शर्मा, ला एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस, आर० -15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।
- (11)- श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिकेशनस, RDC-51 राजनगर, गाजियाबाद ।
- (12)- महालेखाकार (कार्मिशयल एवं रिसीट आडिट) यू०पी०, 6 फ्लोर, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ ।
- (13)- समस्त नोडल अधिकारी वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

(हस्ताक्षर)
24/5/2016
(एम०पी० सिंह)

डिप्टी कमिश्नर (फार्म) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।